

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 778 / 2012

संस्थापित दिनांक 03 / 10 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—

मौ, जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. मान सिंह पुत्र प्रभूदयाल खटीक उम्र—27साल
 2. पहलवान पुत्र धनीराम खटीक उम्र—25साल
 3. रामौतार पुत्र सिरनाम खटीक उम्र—20साल
 4. रामवरन पुत्र सिरनाम खटीक उम्र—22साल
 5. राधे पुत्र सिरनाम खटीक उम्र—29 साल
- समस्त व्यवसाय खेती निवासीगण ग्राम रतवा
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 15 / 10 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 324 / 34 तथा 506 बी-2 के अपराध के आरोप हैं कि दिनांक 28 / 08 / 12 के 9.30 बजे ग्राम रतवा आम गली गोहद में फरियादी रामजीलाल को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित करक्षोभ कारित किया व सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामजीलाल व आहत नेतराम की लाठी डंडो से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की व सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत मायाराम को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी द्वारा आरोपीगण से आपसी राजीनामा कर लिया गया है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी रामजीलाल खटीक ने मय भतीजे नेतराम, भाई मायाराम के साथ पुलिस

थाना मौ में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज वह अपनी जगह में चबूतरा बना रहा था तो मान सिंह ने चबूतरा बनाने से रोका और मादरचोद, बहन चोद की गाली देने लगा गालियाँ देने से मना किया तो मानसिंह, कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके सिर में मारी बांयी तरफ लगी खून निकल आया फिर राधे लाठी लेकर मारी बाये बखा में मूदी चोट आई फिर रामौतार ने आकर एक लाठी उसके दाहिने हाथ के पोंहचा में मारी मूदी चोट आई वह चिल्लाया तो उसका भतीजा नेतराम आ गया उसने बचाने लगा सोई रामवरन ने एक लाठी नेतराम के सिर में मारी चोट होकर खून निकलने लगा उसके भाई मायाराम बचाने आया तो उसके पहलवान ने कुल्हाड़ी मारी जो माथे पर लगी खून निकल आया फिर रामौतार ने एक लाठी मायाराम के मारी सिर में लगी खून निकल आया। घटना रामरतन, छोटे बघेल ने देखी है। जाते समय आरोपीगण कह रहे थे आज तो बच गये आईन्दा जान से खत्म कर देगे।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मौ द्वारा अप0क0 182/12 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं फरियादी व आहतों का मेडीकल परीक्षण कराया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 324/34 तथा 506 बी-2 के आरोपो की विरचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 294, 506बी में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपीगण ने सार्वजनिक स्थान आहत मायाराम को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारितकी?

सकारण निष्कर्ष

8. रामजीलाल आ0सा02 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि करीब 02 साल पहले की बात है ग्राम रतवा में आम गली में चबूतरा बना रहा था तभी आरोपीगण आये और चबूतरा बनाने के उपर से विवाद करने लगे इन लोगों ने माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी थी और झगडा करने लगे थे जब वह चिल्लाया तो नेतराम आ गया आरोपीगण ने नेतराम से झगडा किया था

फिर मायाराम आया उससे भी झगडा किया था घटना की रिपोर्ट उसने थाना मौ पर की थी जो प्र0पी02 की है नक्शा मौका प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा कुल्हाडी से मारपीट किये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण के द्वारा उसके साथ कुल्हाडी से मारपीट कर झगडा किया था। साक्षी के कथनों से प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।

9. मायाराम आ0सा02 यह साक्षी घटना में आहत साक्षी है इसका कहना हैकि करीब 02 साल पहले आरोपीगण से उसका और रामजीलाल व नेतराम का विवाद हो गया था तीनों ही आरोपीगण ने मारपीट कर गाली गलोज किया था जिसकी रिपोर्ट उसके भाई ने की थी साक्षी के द्वारा कुल्हाडी जैसे घातक हथियार से चोट पहुचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न प्रश्नपूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने उन्हें कुल्हाडी जैसे घातक हथियार से चोट पहुचाई थी। साक्षी के कथनों से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।

10. निरोत्तम आ0सा01 यह साक्षी झगडा में घायल साक्षी है इसका कहना हैकि आरोपीगण से उसका झगडा हो गया था आरोपीगण ने गालियाँ दी और लाठियों से मारपीट की थी किसी धारदार हथियार से मारपीट नहीं की थी साक्षी के द्वारा घातक हथियार से मारपीट किये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने उसे धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर उपहति कारित की थी साक्षी के कथनो से प्रथमसूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।

11. प्रकरण में नेतराम आ0सा01,रामजीलाल आ0सा02,मायाराम आ0सा03 तीनों ही साक्षी झगडे में घायल होकर घटना के अतिमहत्वपूर्ण साक्षी है जिनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों में कुल्हाडी जैसे घातक हथियार से मारपीट किये जाने का उल्लेख किया है। लेकिन न्यायालीन कथन में किसी भी साक्षी ने कुल्हाडी जैसे धारदार हथियार से मारपीट किये जाने का समर्थन नहीं किया है प्रकरण में फरियादी एवं आहत पक्ष की ओर से आरोपीगण से आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी व आहतपक्ष द्वारा आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है।

12. मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन एवं साक्षियों पर है झगड़े में नेतराम आ०सा०1, रामजीलाल आ०सा०2, मायाराम आ०सा०3 घायल हुये हैं जिनके द्वारा ही घटित घटना का समर्थन नहीं किया है ऐसी स्थिति में घटित अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाया जाता है।

13. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित आरोप भा.द. वि. धारा 324 / 34 के पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपीगण को भा.द.वि. धारा 324 / 34 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

14. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

15. प्रकरण में धारा 428 द०प्र०स० के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

16. प्रकरण में आरोपीगण की ओर से पूर्व में ही धारा 437ए द०प्र०स० के तहत जमानत प्रस्तुत कर दी गई है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता०सही
जे०एम०एफ०सी०गोहद

हस्ता०सही
जे०एम०एफ०सी०गोहद